ई–मेल/विभागीय वेवसाईट/साधारणडाक से

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-PMGSY-633/2020 - 499 /पटना, दिनांक–17/02/2021

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0

विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के Jamui जिला के Sono प्रखंड के Package No- BR-15R-513, L075-T01 To Bhjunaravi das Tola (TRACK61) HL RCC Bridge Over Barner River at T01 to Bhjunaravi das Tola road के पुल जिनकी लम्बाई–425.64 मी0 तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि के उन्नयन /चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण जिनकी प्राक्कलित राशि **रू0 18.9806 करोड (अठारह करोड़ अंठानवे लाख छः हजार रूपये)** मात्र है, पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

आंतरिकवित्तीय सलाहकार द्वाराऔपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–I के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 19 जिलों यथा अररिया, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, नालन्दा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–17024/4(4)/2018-RC (FMS No 364034) दिनांक–03.12.2020 के द्वारा कुल 166 पुलों जिनकी (लम्बाई 10137.32 मी0), जिनकी कुल प्राक्कलित राशि रू0 493.3807 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कुल स्वीकृत राशि रू0 493.3807 करोड़ में से राज्यांश की राशि रू0 239.4355 करोड़ है।

2. उक्त स्वीकृति में से 15–30 करोड़ के लिए Jamui जिला के Sono प्रखंड के Package No- BR-15R-513, L075-T01 To Bhjunaravi das Tola (TRACK61) HL RCC Bridge Over Barner River at T01 to Bhjunaravi das Tola road के पुल की योजना जिनकी लम्बाई–425.64 मी0 तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि के उन्नयन/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण जिनकी प्राक्कलित राशि **रू0 18.9806 करोड (अठारह करोड़ अंठानवे लाख छः हजार रूपये)** मात्र है, पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. निदेशानुसार उपर्युक्त स्वीकृति पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्न है :–

Sl. No.	District	Division	Block	Package	Road Name	LSB Name	LSB Length (mtrs)	State Cost (Lacs)	Mord Cost (Lacs)	Total Cost	Maintenance Cost (Lacs)	Total Cost with Maintenance in lakhs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jamui	Jhajha	Sono	BR-15R-513	L075-T01 To Bhjunaravi das Tola (TRACK61)	HL RCC Bridge Over Barner River at T01 to Bhjunaravi das Tola road	425.64	1623.36	268.87	1892.23	5.83	1898.06

15/2/2021

P.T.O.

पुल के निर्माण में रू0 **16.2336** करोड रूपये की राशि राज्यांश होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा रू0 **05.83** लाख रूपये की राशि अनुरक्षण की होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

4. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

6. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजटशीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा। अनुरक्षण सहित सम्मलित राशि में से रू0 **05.83** लाख रूपये की राशि अनुरक्षण की होगी जो राज्य के गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुरक्षण मद अन्तर्गत विभाग को रू0 900 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रू0 5086.00 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रू0 333.00 करोड़ का बजट उपबंध है तथा इसके अतिरिक्त रू0 3072.41 करोड़ की निधि बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण को उपलब्ध है।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार परिपत्र संख्या–P17025/37/2013-RC दिनांक–19. 09.2016 के प्रावधान की कंडिका– (i) एवं (ii) के आलोक में LWE जिलों में 100 मी0 तक तथा अन्य जिलों में 75 मी0 तक लम्बाई के लिए Pro-rata के आधार पर व्यय भारत सरकार द्वारा किया जाना है तथा इससे अधिक लम्बाई के लिए पूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। भारत सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि वर्त्तमान में 60:40 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इस योजना पर निम्नांकित शर्त्तो के साथ सहमति दी जा सकती है। इन शर्त्तो का पत्राचार अंश पर रक्षित स्वीकृत्यादेश प्रारूप में समाहित करते हुए स्वीकृत्यादेश प्रारूप का अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है :–

(क) BRRDA के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

15/7/2021

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

(ग) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली क सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलबधता के आधार पर व्यय की जायेगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(ङ) प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न करारना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएगे।

(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(ज) विभागीय संकल्प 4168 दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद 4515 में विभाग को PMGSY योजनान्तर्गत स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तदनुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

12. इस योजना के लिए समीक्षा प्राधिकार (स्थायी वित्त समिति) की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-633/2020 के पृ0–40–41/प0 पर दिनांक–11.12.2020 को तथा स्वीकृति प्राधिकार विभागीय माननीय मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री की स्वीकृति कमशः दिनांक– 30.12.2020 एवं दिनांक– 2·2·2021 को संचिका के पृ0–08/टि0 एवं पृ0–14/टि0 प्राप्त है।

13. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301वि (2), दिनांक–31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2), दिनांक–15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–3758 वि०, दिनांक–31.05.2017, के प्रावधानों एवे वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक–22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-633/2020 पृ0–18/टि0 पर दिनांक–4·2·2021 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

15/4/2021

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-633/2020 - 499 /पटना, दिनांक- 17/02/2021

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-633/2020 - 499 /पटना, दिनांक- 17/02/2021

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का० वि०, बिहार, पटना/ संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0), ग्रा0 का0 वि0/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/2021

विशेष सचिव